



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निधारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाईट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1627 SEIAA/2022
Date: 23/9/22

To,

M/s Bhopal Municipal Corporation,
HFA Cell, 3rd floor, ISBT, Hoshangabad Road,
Habibganj, Dist. Bhopal. MP - 462011

विषय: Case No 9110/2022: Prior Environment Clearance for Construction of Rahul Nagar - Part I (Phase I & Phase II) under PMAY Scheme, On Khasra No. 131 (Part) Total Area - 28476.00 sq.m, Total Built-up Area - 74574.02 sq.mat Village - Rahul Nagar, Kotra Sultanabad, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal, (MP) by M/s Bhopal Municipal Corporation, HFA Cell, 3rd floor, ISBT, Hoshangabad Road, Habibganj, Dist. Bhopal. MP - 462011.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 745वीं बैठक दिनांक 05.09.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया

परियोजना प्रस्तावक को मंजूर की गई पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत ही जारी की जावेगी।

1. उपचार योजना/पुनर्स्थापन योजना हेतु तीन साल की वैधता के साथ राशि रु. 20.10 लाख की बैंक गारंटी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा की जावे।
2. मानक प्रचलन प्रक्रिया दिनांक 07.07.2021 के कार्यालयीन ज्ञापन के अनुसार परियोजना लागत का एक प्रतिशत की दर से रु. 31.68 लाख का अर्थदण्ड मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरण उल्लंघन करने के कारण जमा किया जावे।
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के साथ पठित धारा 15 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 07/07/21 के कार्यालय ज्ञापन के खंड 11, चरण 2 के अनुसार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का प्रमाण प्रस्तुत किया जावे।

उपरोक्त निर्णयानुसार आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत ही प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जायेगी।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव